संख्या/9/2026/ए-1-आई/1364943/2026

प्रेषक,

दीपक कुमार,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- सचिव, युवा कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

2- सचिव, खेल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 17 जून, 2026

विषयः-युवा कल्याण विभाग एवं खेल विभाग को उत्तर प्रदेश सरकार के सेवारत विभाग में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के परिशिष्ट-9 के प्रस्तर 5 में सेवारत विभाग की परिभाषा को संज्ञान में लेते हुए युवा कल्याण विभाग एवं खेल विभाग को उत्तर प्रदेश सरकार के सेवारत विभाग में सम्मिलित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के परिशिष्ट-9 के प्रस्तर-5 में संशोधन यथासमय किया जायेगा ।

भवदीय,

दीपक कुमार

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) अपर मुख्य सचिव/ सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश।

(2) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(5) समस्त मण्डलायुक्त/ समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

(6) विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।

(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

महेन्द्र कुमार भट्ट
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।